म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

समाचार

टी.सी. कनेक्शन की शेष राशि रिफंड करने समयसीमा तय होगी
पूर्व क्षेत्र कंपनी लागू करेगी आटमेटिक रिफंड मैकेनिज्म सिस्टम

जबलपुर, 28 सितंबर 2018

धार्मिक कार्यक्रमों के पंडालों, विवाह समारोहों अथवा निर्माण कार्यो आदि के लिए अस्थाई रूप से बिजली कनेक्शन (टीसी) लेने वालों को अब उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि एक निश्चित अवधि में रिफंड की जायेगी । वर्तमान रिफंड प्रक्रिया जटिल होने के कारण संबंधित टीसी उपभोक्ताओं को बकाया राशि के भुगतान में विलंब हो रहा था तथा उपभोक्ताओं के मन में आक्रोश भी पैदा होता था । इस समस्या के निराकरण के लिए बिजली कंपनी द्वारा अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह से आटोमेटिक रिफंड मैकेनिज्म सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसमें टी.सी. के आवेदन स्मार्ट बिजली एप के माध्यम से जमा किए जायेंगे । टी.सी. अवधि पूर्ण होने पर अमानत राशि की शेष राशि का भुगतान आटोमेटिक प्रणाली से एक माह की अवधि में संबंधित उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा ।

क्या है आटोमेटिक रिफंड मैकेनिज्म सिस्टम : स्मार्ट बिजली एप के माध्यम से उपभोक्ताओं अथवा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा टीसी हेतु आवेदन भरा जावेगा । अंतिम बिलिंग के पश्चात् शेष राशि को उपभोक्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर करने के लिए उपभोक्ता का बैंक खाता कमांक तथा एसएमएस भेजने के लिए आवश्यक मोबाइल नंबर दर्ज किया जावेगा । उपभोक्ता की एप्लीकेशन आईडी को बिलिंग सिस्टम से जोड दिया जावेगा । टीसी की अवधि समाप्त होते ही बिलिंग साफ्टवेयर से रिफंड व्हाउचर जनरेट हो जाएगा तथा शेष अमानत राशि के भुगतान की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जावेगी ।

टीसी लेने वाले उपभोक्ताओं को अमानत राशि के रिफंड के लिए दो विकल्प दिए जायेंगे । पहले विकल्प के तहत उपभोक्ता शेष अमानत राशि को अपने बैक खाते में ट्रांसफर करने की सहमति दे सकेंगे तथा दूसरे विकल्प में उक्त राशि को अन्य बिजली कनेक्शन के बिल में समायोजित भी करवा सकेंगे । यह सिस्टम अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह से लागू हो जायेगा ।

समाचार कमांक : 90

(के.पी.श्रीवास्तव)
जनसंपर्क अधिकारी